न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी : कार्तिक शर्मा, आर.जे.एस.

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 02 / 2026

सी.आई.एस. प्रकरण संख्या : 02 / 2026

श्रीमती चम्पा देवी पत्नी शिवराज पुत्री पोलु निवासी बोराडा तहसील सरवाड पुलिस थाना सरवाड जिला अजमेर

.............प्रार्थिया

ब ना म

शिवराज पुत्र नारायण निवासी बस स्टेण्ड एवं शिव मन्दिर के पास, जाटों का मौहल्ला ग्राम पोस्ट मान्दोलाई पुलिस थाना टोडारायसिंह जिला टोंक हाल अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरजपुरा, झाडली पंचायत समिति मालपुरा जिला टोंक

..........अप्रार्थी

आदेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 125(3) दण्ड प्रकिया संहिता

उपस्थितिः–

1. प्रार्थिया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दौलतसिंह राठौड
2. अप्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रहलाद माली

–––––

आदेश

दिनांकः 27.03.2026

1. प्रार्थिया की ओर से जरिए अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 125(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन दिनांक 03.01.2026 को पेश किया गया।

2. प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादिया द्वारा एक परिवाद अन्तर्गत धारा 125(3) जाफ़ा फौजदारी में विरूद्ध अप्रार्थी पेश किया गया था जिसमे दिनांक 18.08.2023 को न्यायालय द्वारा निर्णित किया जा चुका है। उक्त परिवाद माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया को 8000/– रूपए मासिक अप्रार्थी शिवराज द्वारा आदेश की दिनांक से बतौर अन्तरिम भरण–पोषण प्रतिमाह अदा किए जाने का आदेश दिया। साथ ही उक्त भरण–पोषण की रकम प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अदा करने हेतु आदेश दिया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2025 के बाद दिनांक 17.12.2025 तक अप्रार्थी द्वारा भरण–पोषण की राशि अदा नहीं की गयी तथा कुल 11 माह की राशि वसूली योग्य होने से 11 माह की कुल राशि 88000/– रूपए भरण–पोषण नहीं दिया गया है, न ही न्यायालय के आदेश की पालना की गयी है, जिससे उक्त राशि वसूल योग्य है। अप्रार्थी राजकीय सेवा में होकर अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरजपुरा, झाडली ब्लॉक मालपुरा में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) टोंक के अधीनस्थ है, जिससे अप्रार्थी की तनख्वाह में से 8000/– रूपए प्रतिमाह कटौती की जाकर प्रार्थिया के खाता संख्या 22580100004820 आईएफएससी कोड BARBOBARODA शाखा बोराडा में डलवाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अन्त में न्यायालय के आदेशानुसार अप्रार्थी के नियोजक जिला शिक्षा अधिकारी टोंक व पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक मालपुरा जिला टोंक को आदेशित कर कुल वसूली योग्य राशि 88,000/– रूपए व 8000/– रूपए प्रतिमाह की कटौति कर राशि प्रार्थिया के खाते में डलवाए जाने का निवेदन किया गया।

Authenticated Document

3. जिस पर अप्रार्थी के विरूद्ध वसूली वारंट जारी किया गया। पत्रावली में परिवाद पेश करने के पश्चात दिनांक 03.01.2026, 19.01.2026 एवं 07.02.2026 तारीख पेशी पर अप्रार्थी द्वारा न तो न्यायालय में स्वयं की उपस्थिति दी गयी, न ही वसूली वारंट की पालना की गयी है।

4. बहस अंतिम सुनी गई। परिवादिया द्वारा एक परिवाद अन्तर्गत धारा 125(3) जाप्ता फौजदारी में विरूद्ध अप्रार्थी पेश किया गया था जिसमे दिनांक 18.08.2023 को न्यायालय द्वारा निर्णित किया जा चुका है। उक्त परिवाद माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया को 8000/— रूपए मासिक अप्रार्थी शिवराज द्वारा आदेश की दिनांक से बतौर अन्तरिम भरण—पोषण प्रतिमाह अदा किए जाने का आदेश दिया। साथ ही उक्त भरण—पोषण की रकम प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अदा करने हेतु आदेश दिया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2025 के बाद दिनांक 17.12.2025 तक अप्रार्थी द्वारा भरण—पोषण की राशि अदा नहीं की गयी तथा कुल 11 माह की राशि वसूली योग्य होने से 11 माह की कुल राशि 88000/— रूपए भरण—पोषण नहीं दिया गया है, न ही न्यायालय के आदेश की पालना की गयी है, जिससे उक्त राशि वसूल योग्य है। अप्रार्थी राजकीय सेवा में होकर अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरजपुरा, झाडली ब्लॉक मालपुरा में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) टोंक के अधीनस्थ है, जिससे अप्रार्थी की तनख्वाह में से 8000/— रूपए प्रतिमाह कटौती की जाकर प्रार्थिया के खाता संख्या 22580100004820 आईएफएससी कोड BARBOBARODA शाखा बोराडा में डलवाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अन्त में न्यायालय के आदेशानुसार अप्रार्थी के नियोजक जिला शिक्षा अधिकारी टोंक व पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक मालपुरा जिला टोंक को आदेशित कर कुल वसूली योग्य राशि 88,000/— रूपए व 8000/— रूपए प्रतिमाह की कटौति कर राशि प्रार्थिया के खाते में डलवाए जाने का निवेदन किया गया। जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि उपरोक्त राशि जमा कराई जा रही है अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष अवधारणीय बिन्दु यह है कि.......................

1. **आया प्रार्थिया अप्रार्थी की तनख्वाह से राशि 8 हजार रूपए प्रतिमाह बतौर भरण—पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है?**

6. हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थिया द्वारा न्यायालय से यह अनुतोष चाहा गया है कि भरण—पोषण की राशि अप्रार्थी की तनख्वाह से कटौती की जाकर प्रार्थिया के खाते में अन्तरित की जाये। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा इसके संबंध में आपत्ति कर कथन किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा राशि जमा करायी जा रही है अतः अप्रार्थी की तनख्वाह से किसी प्रकार की कटौती उचित प्रतीत नहीं होती है।

7. पत्रावली के समग्र अवलोकन से जाहिर है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2023 को प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 127 द.प्र.सं. के तहत आदेश पारित कर भरण—पोषण की राशि को परिवर्तित करते हुए 8000/— रूपए के भरण—पोषण का आदेश पारित किया गया था। यह भार अप्रार्थी पर विद्यमान है कि वह न्यायालय के आदेश की पालना में प्रतिमाह प्रार्थिया को 8000/— रूपए अदा करें। प्रार्थिया द्वारा कथन कर जाहिर किया गया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि अदा करने में विलम्ब कारित किया जा रहा है जिसके चलते प्रार्थिया को अनावयक तकलीफ व समस्याओं का सामना करना पड रहा है। इस संबंध में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थिया द्वारा न्यायालय के समक्ष भरण—पोषण की राशि के संबंध में वर्ष 2023 से आज दिनांक तक भिन्न—भिन्न समय पर धारा 125(3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वसूली कार्यवाही हेतु प्रयास किया जा रहा है। उक्त दस्तावेजों से दर्शित है कि न्यायालय के समक्ष सर्वप्रथम आपराधिक विविध प्रकरण संख्या 119/2023 दिनांक 07.07.2023 को प्रस्तुत किया गया था, जिसका निस्तारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.07.2024 हुआ था। यहां यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत कार्यवाही में सम्पूर्ण राशि प्रस्तुत करने में अप्रार्थी द्वारा एक वर्ष का समय लिया गया। इसी प्रकार तदुपरान्त आगामी 11 माह की किश्त हेतु प्रार्थिया द्वारा आपराधिक विविध प्रकरण संख्या 28/2024 न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.03.2024 को पेश किया गया, जिसका निस्तारण दिनांक 28.09.2024 को हुआ। जिसमें भी 6 माह की अवधि तदुपरान्त प्रार्थिया द्वारा 11 माह की किश्त अदायेगी हेतु विविध आपराधिक प्रकरण संख्या 12/2025 दिनांक 30.01.2025 को प्रस्तुत किया गया, जिसका निस्तारण दिनांक 19.1.2026 को हुआ जिसमें निस्तारण में अप्रार्थी द्वारा पुनः एक वर्ष का समय लिया गया। तत्पश्चात प्रार्थिया द्वारा दिनांक 17.12.2025 को हस्तगत प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसमें 6 माह की राशि अप्रार्थी

Authenticated Document

द्वारा आज दिनांक तक अदा नहीं की गयी। उपरोक्त आदेशिकाओं से यह दर्शित है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थिया को 11 माह की अवधि तक कोई राशि अदा नहीं की जा रही है तथा 11 माह की अवधि पश्चात प्रार्थिया द्वारा विधिनुसार न्यायालय के समक्ष वसूली कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिस पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थिया को राशि अदा की जा रही है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त राशि अदायेगी हेतु अप्रार्थी द्वारा एक वर्ष तक का समय व्यतीत किया जा रहा है, जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थिया के भरण–पोषण राशि प्राप्त करने हेतु अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड रहा है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि अप्रार्थी वर्तमान में राजकीय सेवा में होकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजपुरा झाडली ब्लॉक मालपुरा में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) टोंक के अधीनस्थ अध्यापक है, परन्तु उसके द्वारा जानबूझकर अपने विधिक दायित्वों की पालना न कर न्यायालय के आदेशों की अवमानना करते हुए प्रार्थिया को राशि अदा करने में विलम्ब कारित किया जा रहा है, तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा उक्त विलम्ब के संबंध में कोई तात्विक कारण न्यायालय के समक्ष दर्शित नहीं किए जा रहे हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों के आलौक में हुए प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 125(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

: : आदेश : :

8. अतः प्रार्थिया श्रीमती चम्पा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 125(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता विरूद्ध अप्रार्थी शिवराज स्वीकार किया जाकर जिला शिक्षा अधिकारी टोंक व पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक मालपुरा जिला टोंक को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी शिवराज पुत्र नारायण निवासी बस स्टेण्ड एवं शिव मंदिर के पास जाटों का मौहल्ला ग्राम पंचायत मान्दोलाई पुलिस थाना टोडारायसिंह जिला टोंक हाल अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजपुरा झाडली पंचाायत समिति मालपुरा जिला टोंक की तनख्वाह में से 8000/– रूपए की कटौती की जाकर प्रार्थिया के खाता संख्या 22580100004820 आईएफएससी नं BARBOBARODA शाखा बोराडा में प्रतिमाह अदा की जावे। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध 48,000/– रूपए वसूली शेष है, जिसके संबंध में अप्रार्थी के विरूद्ध वसूली वारंट जारी हो। माह अप्रैल 2026 से पूर्व यदि कोई राशि शेष हो तो उक्त राशि के संबंध में प्रार्थिया पृथक से प्रार्थना पत्र धारा 125(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता हेतु प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

(कार्तिक शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़
जिला–अजमेर

9. आदेश आज दिनांक 27.03.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(कार्तिक शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़
जिला–अजमेर

Authenticated Document

HARISH SHARMA
Digitally signed by HARISH SHARMA
Date: 2026.03.27 16:30:26 +0530